*गेपसागर झील पर वन विभाग की ओर से दो दिवसीय मध्य शीतकालीन पक्षी गणना की गई। गणना में पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम पक्षी दिखाई दिए।*

## आतंकवादी राणा का प्रत्यर्पण शीघ्र होगा

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। मुंबई में 26 नवंबर 2008 के आतंकवादी हमले के सूत्रधार तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है और अब भारत एवं अमेरिका की सरकारों के बीच प्रक्रिया को लेकर काम शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2025 को आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब हम मुंबई आतंकी हमले के आरोपी के भारत प्रत्यर्पण के लिए प्रक्रियात्मक मुद्दों पर अमेरिकी पक्ष के साथ काम कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि इस बारे में होने वाली प्रगति की सूचना साझा की जाएगी।

# हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर की जमानत याचिका खारिज

जयपुर, 31 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने हरियाणा के भिवानी में भरतपुर के जुनैद और नासिर की जलाकर हत्या करने के मामले में मोहित उर्फ मोनू मानेसर सहित, अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मोहित व अनिल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

■ **16 फरवरी 2023 को कार में मिली दो अधजली लाशों के मामले में हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।**

जमानत याचिका में अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने कहा गया कि मौके पर याचिकाकर्ता मौजूद नहीं था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी उपस्थित दर्ज नहीं है। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों ने भी अपने बयान में माना है कि याचिकाकर्ता मौके पर नहीं था। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एसएस अली ने कहा कि मानेसर घटना के मुख्य अभियुक्त से फोन पर संपर्क में था और वह षडयंत्र में शामिल था। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 16 फरवरी, 2023 को हरियाणा के भिवानी में एक कार में दो अधजली लाशें मिली थीं। पुलिस को जांच में पता चला कि ये लाशें भरतपुर के घाटमिका गांव में रहने वाले जुनैद और नासिर की थीं। मामले में पुलिस ने मोनू मानेसर और अनिल सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।

# दिल्ली में आप के 7 विधायकों ने पार्टी छोड़ी

## इस्तीफा देने वाले सभी विधायकों ने टिकट नहीं मिलने और भ्रष्टाचार को पार्टी छोड़ने की वजह बताई

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी (आप) के सात विधायकों ने शुक्रवार को इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आप के सात विधायकों, राजेश ऋषि, नरेश यादव, रोहित कुमार महरौलिया, भावना गौड़, भूपेंद्र सिंह जून, मदन लाल और पवन शर्मा ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और आप में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताई।

■ **जनकपुरी से दो बार विधायक रहे राजेश ऋषि ने कहा, ''आम आदमी पार्टी एक अनियंत्रित गिरोह के लिए स्वर्ग बन गई है। पार्टी का नेतृत्व भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और तानाशाही का पर्याय बन गया है।**

जनकपुरी से दो बार के विधायक राजेश ऋषि ने अरविंद केजरीवाल को भेजे इस्तीफे में आरोप लगाया कि पार्टी मूल सिद्धांतों को त्यागकर भ्रष्टाचार में डूब गई है। उन्होंने आप को एक अनियंत्रित गिरोह बताते हुए लिखा, 'आम आदमी पार्टी एक अनियंत्रित गिरोह के लिए लिए स्वर्ग बन गई है। पार्टी का नेतृत्व भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तानाशाही के साथ पर्यायवाची हो गई है।

आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को भेजे पत्र में लिखा, आम आदमी पार्टी जिस ईमानदार विचारधारा पर बनी थी उससे पार्टी भटक चुकी है।

कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल ने केजरीवाल को भेजे इस्तीफे में कहा है कि अब उनका पार्टी में विश्वास नहीं रहा। महरौली के विधायक नरेश यादव ने भी पार्टी पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया है।

विधायकों के पार्टी से इस्तीफे पर आप विधायक ऋतुराज झा ने भाजपा पर विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुझे भी पार्टी छोड़ने का लालच दिया गया था।

# डूंगरपुर के गैपसागर में इस वर्ष कम पक्षी आये

डूंगरपुर, 31 जनवरी (निसं)। वन विभाग की ओर से की जा रही मध्य शीतकालीन पक्षी गणना के तहत, गेपसागर झील पर दो दिवसीय पक्षी गणना की गई। इसमें पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम पक्षी दिखाई दिए। उपवन संरक्षक रंगास्वामी ई ने बताया कि पक्षी विशेषज्ञ वीरेन्द्र सिंह बेडसा, बर्ड फोटोग्राफर, कनिष्क श्रीमाल, परम श्रीमाल व मोहम्मद अनीस ने गेपसागर पर पक्षी गणना की। पक्षी गणना में ग्रे लेग गुज, ब्राह्मणी डक, नॉर्दन शावलर, नॉर्दन पिनटेल, कॉमन पोचार्ड ,कॉटन टील, कॉमन कूट, ब्लैक टेल्ड गॉडविट, रेड शैंक, रफ, काम्ब डक, स्पॉट बिल्ड डक, व्हिसलिंग डक, पेंटेड स्टार्क, वूली नेक्ड स्टार्क, ओपन बिल्ड स्टार्क, ब्लैक हेडेड आइबिस, रेड नेपड आइबिस, ग्लौसी आइबिस, ग्रे हैरॉन, पर्पल हैरॉन, नाईट हेरान, ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट, कॉमन सैंड पाइपर, लार्ज कर्मोरेंट, लिटल कार्मो रेंट, इंडियन शेगर रिवर टर्न, विस्कर्ड टर्न, पर्पल स्वम्प हेन, कॉमन मूरहेन, व्हाईट ब्रेस्टेड वाटरहेंन, कॉमन किंग फिशर पाइड किंगफिशर, व्हाईट ब्रेस्टेड किंगफिशर, लिटल रिंग प्लावर, ब्रॉन्ज विंग्ड जकाना, लार्जीईग्रेट, लिटिल ईग्रेट, केटल ई सहित, पक्षियों की कई प्रजातियां दिखाई दीं।

■ **वन विभाग की शीतकालीन पक्षी गणना में कई ''प्रजातियाँ'' दिखाई दीं।**

## 'सफाई, अतिक्रमण और यातायात की समस्या से कैसे निपट रहा है प्रशासन?'

जयपुर, 31 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त और डीसीपी ट्रेफिक को 10 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि सफाई, अतिक्रमण, यातायात और पार्किंग सहित, आवारा पशुओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए क्या कार्रवाई की गई है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने ये आदेश शहर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के संबंध में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, मामले से जुड़े अधिवक्ता विमल चौधरी व योगेश टेलर ने बताया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के पास मॉनिटरिंग के लिए आया था। हाईकोर्ट ने इन समस्याओं की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी भी गठित की, लेकिन कमेटी कुछ काम नहीं कर रही और केवल कागजों में ही काम हो रहा है। शहर में जगह-जगह कचरा फैला हुआ है, हर रोड पर ट्रैफिक जाम है और सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं। ऐसे में अदालती आदेशों की पालना नहीं हो रही है और राज्य सरकार व नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार हैं। वहीं, राज्य सरकार की ओर से एएजी जीएस गिल ने कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर कार्रवाई हो रही है और इनका निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने तीनों अधिकारियों को पेश होने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर नगर निगम बनाम लेखराज सोनी के मामले में 31 अक्टूबर 2014 को राजस्थान हाईकोर्ट को जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के मुद्दे पर पीआईएल दर्ज करने के लिए कहा था। इसके बाद से हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की जा रही है।

■ **हाई कोर्ट ने निगम आयुक्त और जीसीपी ट्रैफिक को जवाब तलब किया।**

# आईएएस नियुक्ति में गैर आईएएस अभ्यर्थियों का ''कोटा'' बनाये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया

## आरएएस एसोसिएशन की एसएलपी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा लगाये गये 5 लाख रूपए के जुर्माने को घटाकर दो लाख रूपए कर दिया और कहा नियुक्यिां नियमानुसार की गई थीं

जयपुर, 31 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गैर आरएएस से आईएएस में पदोन्नति के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से गत 5 दिसंबर को दिए फैसले को बरकरार रखते हुए आरएएस एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि गैर आरएएस अफसरों को आईएएस सेवा में पदोन्नति देने की प्रक्रिया में राज्य सरकार की ओर से नियमों की अवहेलना नहीं की गई है। ये पदोन्नति आईएएस भर्ती नियम, 1954 के तहत पूरी तरह से वैध है। हालांकि अदालत ने मामले में हाईकोर्ट की ओर से आरएएस एसोसिएशन पर लगाए पांच लाख रुपए के हर्जाने को घटाकर दो लाख रुपए कर दिया है।

राज्य सरकार के एएजी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, अब गैर आरएएस सेवा वाले अफसरों की आईएएस सेवा में पदोन्नति पर भी सर्वोच्च अदालत की अंतिम स्वीकृति मिल गई है। दरअसल, आरएएस एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने गैर आरएएस सेवा से आईएएस सेवा में पदोन्नति का रास्ता साफ कर इस पर लगी रोक हटा दी थी। इसके साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली आरएएस एसोसिएशन पर पांच लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एसोसिएशन ने गैर आरएएस सेवा से होने वाली पदोन्नति को रोकने के उद्देश्य और अपने निजी हितों के चलते यह याचिका दायर की है। एसोसिएशन चाहती है कि आईएएस सेवा में होने वाली पदोन्नति एसोसिएशन के सदस्यों में से ही की जाए। याचिका में एसोसिएशन का कहना था कि राज्य सरकार केवल विशेष हालात व परिस्थितियों में ही गैर आरएएस सेवा के अफसरों को आईएएस सेवा में पदोन्नत कर सकती है, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह परिपाटी बना ली है।

■ **आईएएस भर्ती नियम 1954, के अनुसार, केवल विशेष परिस्थितियों में आईएएस नियुक्ति में 15 प्रतिशत अभ्यर्थी गैर आरएएस हो सकते हैं।**

■ **याचिकाकर्ता एसोशिएसन का आरोप था कि पिछली गहलोत सरकार ने बिना कोई वजह बताये इस ''प्रावधान'' को ''कोटा'' बनाकर गैर आएएस अफसरों की आईएएस पदों पर नियुक्ति की सिफारिश की थी।**

## 'रोहिंग्या शरणार्थियों का विस्तृत ब्यौरा दें, वे कहाँ बस रहे हैं और कितनी संख्या में हैं'

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शरणार्थियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला देने की गुहार पर याचिकाकर्ता से दिल्ली में रोहिंग्या लोगों के रहने के स्थान के संबंध में शुक्रवार को ब्यौरा मांगते हुए इसे रिकॉर्ड में लाने को कहा। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की ओर से दायर उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही, जिसमें बच्चों को स्कूलों में दाखिले के लिए दिल्ली सरकार को आवश्यक निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।पीठ ने एनजीओ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा कि रोहिंग्या कहां रह रहे हैं। उनके रहने के कौन से इलाके हैं।

अपनी जनहित याचिका में एनजीओ ने शीर्ष अदालत से दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 2024 को जारी किए गए उस परिपत्र को रद्द करने की मांग की, जिसमें सरकारी स्कूलों को रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों को दाखिला देने से रोकने का प्रावधान किया गया है।

# शम्भू बार्डर पर किसान आंदोलन में एक और किसान की मृत्यु

अमृतसर, 31 जनवरी। शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेने गए अमृतसर के गांव कक्कड़ के किसान प्रगट सिंह की शुक्रवार सुबह मौत हो गई। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है और प्रगट सिंह दो एकड़ भूमि के मालिक थे। जानकारी के अनुसार, सुबह प्रगट सिंह अचानक गिर गए। उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

गांव कक्कड़ अमृतसर जिले का सीमांत गांव है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने मृतक किसान के परिवार को 500000 रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है।

साथ ही, 11 फरवरी से 13 फरवरी तक होने वाली तीन किसान महापंचायतों को सफल बनाने के लिए किसान नेता पूरी रणनीति में जुटे हुए हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन आज (शुक्रवार) 66वें दिन में प्रवेश कर गया है। हालांकि भूख हड़ताल के कारण डल्लेवाल का शरीर कमजोर हो गया है। इसके कारण उन्हें बुखार आ गया है, वह जरा सी भी हरकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। 14 फरवरी को केन्द्र सरकार ने चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक करने का फैसला किया है। इससे पहले किसान बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुटकर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को भले ही एक साल हो गया है, लेकिन उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। साथ ही, वे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

■ **मृतक प्रगट सिंह के दो बेटियाँ व एक बेटा है तथा वह दो एकड़ भूमि के मालिक थे।**

## प्रयागराज जांच आयोग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया

महाकुम्भनगर, 31 जनवरी। महाकुम्भ में मौनी अमावस्या स्नान पर हुए हादसे की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है।

आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने शुक्रवार को प्रयागराज में अधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक के बाद आयोग ने संगम नोज़ के निकट घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने कहा कि घटनास्थल की टोपोग्राफी और परिस्थितियों का अध्ययन किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा।

■ **न्यायमूर्ति हर्ष कुमार ने कहा, सीसीटीवी फुटेज व अन्य सबूतों का गहराई से विश्लेषण किया जायेगा।**

# 'चुनाव आयोग मतदान के वीडियो क्लिप सुरक्षित रखे'

नयी दिल्ली, 31 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मतदान की वीडियो क्लिप सुरक्षित रखने का आयोग को निर्देश दियस।

पीठ ने कहा, हम प्रतिवादी संख्या 1 को सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बनाए रखने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जैसा कि वे पहले कर रहे थे।

अदालत ने चुनाव आयोग के अधिवक्ता के जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद यह निर्देश दिया और आयोग को हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का और समय दिया।

सिंह ने भारत भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अगस्त 2024 में चुनाव आयोग के पत्राचार की वैधता को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने 15 जनवरी को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा था।

## जेजेएम ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच तय कर चुकी है कि ऐसे मामलों में यदि अदालत जमानत देती है तो उसे यह बताना होगा कि संबंधित आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, जबकि इस मामले में आरोपी के खिलाफ ईडी कोर्ट प्रसंज्ञान ले चुका है। इसके अलावा, कोई भी आरोपी यह नहीं कह सकता कि उसके सह आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसे जमानत दी जाए। ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

# प्रीबजट इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, 25-26 में ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

भारत को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा।

हालाँकि, सर्वेक्षण यह मूल्यांकन नहीं करता कि ए.आई में हो रहे नए विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ -सेवा निर्यातों (सर्विस एक्सपोर्ट्स) पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। आई टी सक्षम सेवाएँ ए.आई. से गंभीर रुप में प्रभावित हो सकती हैं, जो भारत के सेवा निर्यातों के कई मुख्य क्षेत्रों को अनावश्यक व बेकार बना सकती हैं। भारत को इस नए परिवेश में स्वयं को पुन: समायोजित करना होगा।

सर्वेक्षण अनुमान करता है कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष में भारत का जी.डी.पी. 63 प्रतिशत से 68 प्रतिशत के बीच बढ़ेगा। अनुमानित वृद्धि दरें महामारी से पहले के वर्षों के मुकाबले कम हैं। आशावादी कारक यह है कि पूंजीगत व्यय में साल दर साल आठ प्रतिशत वृद्धि हुई है और घरेलू खपत खर्च में भी मजबूती है।

सर्वेक्षण इस बात को लेकर आशावादी है कि समग्र महंगाई (ओवर ऑल इन्फ्लेशन) लक्षित सीमा (टारगेटेड रेंज) के भीतर रहेगी, क्योंकि महंगाई का मुख्य कारण सिर्फ कुछ खाद्य वस्तुएं हैं। इकोनॉमिक सर्वे देश में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास और कार्यकुशलता में वृद्धि के प्रति आशावादी है।

सर्वे भारतीय औद्योगिक और उत्पाउद में एआई के संतुलित उपयोग की सिफारिश करता है, यह ध्यान में रखते हुए कि एआई उत्पादों के उपयोग से रोजगार और सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं। सर्वेक्षण यह भी बताया है कि पिछले सभी प्रौद्योगिकी विकास की तरह, नई तकनीकें अक्सर शॉर्ट टर्म में रोजगार हानि का कारण बन सकती हैं। अन्तत:, नई तकनीकी प्रगति उत्पादकता में सुधार करके विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार उत्पन्न करती है। इन तकनीकी उत्पादों को लागू करने से पहले इनका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जैसा कि सर्वेक्षण ने सुझाया है।

नई तकनीकी प्रगति के साथ-साथ, सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था में ''डीरैगुलेशन'' (सरकारी नियमों और नियंत्रण को कम करना) की आवश्यकता को रेखांकित किया है, ताकि जमीनी स्तर के आर्थिक खिलाड़ियों को मुक्त किया जा सके और उनकी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

डीरैगुलेशन की अपनी नई रणनीति में सर्वे ने नई पहलों के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेवार बनाया है। संवाददाताओं को जानकारी देते हुए, डॉ.वी. अनंता नागेश्वरन ने जोर देकर कहा कि नए रिफॉर्म्स और डीरैगुलेशन बड़े स्तर के सुधारों की तरह नहीं होने चाहिए। ये सूक्ष्म सुधार होंगे, जो वर्तमान में छोटे और मध्यवर्ती स्तर के उद्यमों की कार्यकुशलता को सीमित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वो राज्य, जो ग्राउंड-लेवल डीरैगुलेशन में कमी कर चुके हैं, वहाँ तेज़ी से विकास हुआ है। ये सूक्ष्म स्तर के नियम, कानून और नियंत्रण व्यापार संचालन की लागत को बढ़ाते हैं और रोजगार के विकास को भी प्रतिबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में ग्राउंड-लेवल डीरैगुलेशन इस तरह के हैं कि व्यवसाय पहली मंजिल से ऊपर की जगह का उपयोग कर सकते हैं, जबकि ग्राउंड-लेवल को पार्किंग के लिए आरक्षित किया जाता है।

# दो टिप्पणियों के नाम रहा, संसद के बजट ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने इस बयान की कड़ी निंदा की तथा इसे ''अभिजात्य, गरीब-विरोधी तथा आदिवासी-विरोधी'' बताया।

उन्होंने ''एक्स'' पर लिखा,''मैं तथा भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिये श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रयुक्त शब्द ''पुअर थिंग'' की कड़ी निन्दा करते हैं। ऐसी शब्दावली का जानबूझ कर प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी की अभिजात्य, गरीब-विरोधी तथा आदिवासी-विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं माँग करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति तथा भारत के आदिवासी समुदाय से बिना शर्त माफी माँगे।''

केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इसे राष्ट्रपति का ''अभूतपूर्ण अपमान'' बताया है।

उन्होंने कहा, ''जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति के लिये, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी तथा उनके पुत्र लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया, मैं तो उनकी कल्पना तक नहीं कर सकता। इसके अलावा उनसे और आशा भी क्या की जा सकती है?''

केन्द्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने इस विवाद को कांग्रेस के सैद्धांतिक झुकावों से जोड़ा है।

बंगाल के भाजपा नेता मजूमदार ने कहा, ''एक समय था, जब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती थी। जब से राहुल गांधी ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है, उनके सारे सलाहकार जेएनयू से निकले घोर वामपंथी हैं। यही कारण है कि उनकी सारी नीतियाँ तथा बयान सभी संवैधानिक पदों का अपमान करने वाले हैं। एक आदिवासी महिला, जो भारत का प्रथम नागरिक बनने की स्थिति तक पहुँची है, के लिए और उनके भाषण के लिये इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा कांग्रेस से ही की जा सकती है।''

भाजपा आईटी प्रकोष्ट के प्रमुख अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि यह टिप्पणी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का अपमान किये जाने के तरीके का एक हिस्सा है।

उन्होंने ''एक्स'' पर लिखा, ''सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति को ''पुअर थिंग'' कहा जाना, इस उच्च पद को नीचा दिखाना तथा उनकी सामंती सोच को उजागर करता है। यह पहला अवसर नहीं है, जब कांग्रेस ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन देश की पहली आदिवासी महिला की हँसी उड़ाई है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जो प्राय: संविधान की प्रति दिखाते रहते हैं, राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करने के लिए भी नहीं गये हैं। कांग्रेस के मन में बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान, संवैधानिक मूल्यों तथा सामाजिक रूप से उपेक्षित पृष्ठभूमि वाले समुदायों, जैसे दलित, ओबीसी, आदिवासी आदि के लिये कोई सम्मान नहीं है।''

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी यही बातें दोहराई हैं। उन्होंने ''एक्स'' पर लिखा है, सोनिया गांधी ने यह कहकर कि ''बेचारी राष्ट्रपति अंत में बहुत थक गई थीं'', भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान है, जो कांग्रेस की घटिया राजनीति एवं चरित्र के निम्न स्तर को उजागर करता है। यह नकली गांधी परिवार इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति उच्च संवैधानिक पदों पर पहुँच सके। यह अपमान प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक आदिवासी तथा प्रत्येक महिला का अपमान है। यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बहुत शर्मनाक और निन्दनीय वक्तव्य है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं।''

# कांग्रेस सरकार के ''जल जीवन मिशन'' ...

( प्रथम पृष्ठ का शेष )

किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल जीवन मिशन को पिछली कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर देरी से शुरू किया। इस योजना में घोटालों के कारण राजस्थान की साख देश भर में खराब हुई। हमारी सरकार के वक्त इस योजना के काम में प्रगति हुई है। गांव-गांव में पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सानिध्य में 'रामजल सेतु लिंक परियोजना के एम.ओ.यू. का आदान-प्रदान किया गया। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरुरतों को पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य शुरू कर दिया है।

कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण अक्टूबर-2024 में पूरा कर लिया है। इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त राजस्थान में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 2816 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

इससे 14517 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। भारत सरकार, हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए समझौते के आधार पर, सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों में यमुना नदी का जल लाने की दिशा में राजस्थान सरकार आगे बढ़ रही है। जल संरक्षण के लिए प्रदेश के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें 1132 ग्राम पंचायतों में 459 करोड़ रुपये से जल संरक्षण व संवर्द्धन के कार्य कराए गए हैं।

सरकार ने 6091 करोड़ रुपये व्यय कर 11.17 लाख परिवारों को 'नल से जल' उपलब्ध कराया है। अब तक 30 वृहद् परियोजनाओं और 1618 लघु परियोजनाओं को पूर्ण कर 4951 गांवों को लाभान्वित किया गया है। बाड़मेर में नर्मदा नहर आधारित 2 वृहद् परियोजनाओं तथा जोधपुर व फलौदी में जल जीवन मिशन के तहत, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आधारित 4 वृहद् पेयजल परियोजनाओं से 592 गांवों को लाभान्वित किया है। इस पर 927 करोड़ रुपये व्यय किए गए है।

राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने ''राइजिंग राजस्थान'' समिट के साथ प्रदेश में 35 लाख करोड़ के निवेश की बुनियाद रखी है। हमारी सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। इससे राजस्थान का औद्योगिक विकास होगा। गुजरात में जिस तरह ''वाइब्रेंट गुजरात'' के जरिए देश-विदेश का निवेश आया, उसी तरह राइजिंग राजस्थान में भी 32 देशों के प्रतिनिधि आए।

राज्यपाल बागड़े ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार को सदन में घेरते हुए कहा कि, ''मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछली सरकार के वक्त प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा। हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी सरकार ने केन्द्र के मार्गदर्शन और छत्तीसगढ़ के साथ परसा ईस्ट कॉल ब्लॉक से कोयले का खनन फिर से शुरू करवाया, जिससे आज हमारे थर्मल पावर प्लांट को भरपूर कोयला मिल रहा है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908